राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 137/2014/जयपुर.

सहायक आयुक्त, वृत–जी, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रॉयल सेल्स कॉर्पोरेशन,
खासा कोठी सर्किल, स्टेशन रोड़, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पंकज धीया, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 27/11/2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 195/अपील्स–I/आरवीएटी/G/जयपुर/2012–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.7.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–जी, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.2.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2009–10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.2.2012 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र वैट–10 विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 1,42,574/– का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से स्वीकार की जाकर आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के विरूद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व व्यवहारी को शास्ति आरोपण बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किये जाने के कारण शास्ति का आरोपण प्रथम दृष्टया ही विधिविरूद्ध है, इसी कारण आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। यह भी कथन किया कि धारा 23 के तहत पारित आदेश जो स्वः कर निर्धारण योजना के तहत किया गया है उसमें धारा 58 के तहत किसी तरह की शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 27.2.2012 में शास्ति की मांग दर्शाई है, जबकि आदेश के पैरा संख्या 4 में विवरण–पत्रों को प्रस्तुत करने के कॉलम में कोई विलम्ब नहीं दर्शाया गया है तथा पैरा 2 के जिस कॉलम में शास्ति रूपये 1,42,574/– दर्शाई गई है उसमें भी किसी धारा को उल्लेखित नहीं किया है। इस तरह उक्त कर निर्धारण आदेश ही पूर्णतया अस्पष्ट है, बल्कि आदेश में आरोपित शास्ति किस धारा में या किस अपराध के लिये आरोपित की है, अंकित नहीं किया गया है न ही कोई नोटिस जारी करना या सुनवाई करने का उल्लेख है। इस तरह वाणिज्यिक कर अधिकारी के स्तर के अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश पारित करना उचित नहीं है। प्रकरण में यह भी निर्विवादित है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य